

कार्यालय आदेश

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 58वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या-58/12 दिनांक 03.01.2017 में प्राधिकरण की आवासीय भूखण्ड योजना-RPS03/2016 के अन्तर्गत समस्त श्रेणी के आवंटियों को आवंटन धनराशि/सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने हेतु ब्रोशर की क्लॉज-9 के आलोक में 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (जिसका आंकलन छमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किया जायेगा) के अनुसार दिनांक 31.01.2017 तक का समय विस्तरण अनुमन्य किया जाता है।

उपरोक्त आदेश प्राधिकरण की 58वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 58/12 में लिये गये निर्णय के आधार पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ अरूण वीर सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
2. महाप्रबन्धक (वित्त/नियोजन), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
3. विशेष कार्याधिकारी (एच/एस.बी./एम.) यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
4. महाप्रबन्धक/संबंधित उपमहाप्रबन्धक (परियोजना), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
5. प्रबन्धक-1/II (सम्पत्ति), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
6. गार्ड फाईल।

Simal 211117
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-पी-2, सेक्टर ओमेगा-1, ग्रेटर नौएडा सिटी - 201308, जिला-गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)
दूरभाष न0 - 0120 - 2395201, फैक्स न0 - 0120 - 2395150